न्यायालय डिवीजनल कमिश्नर, जोधपुर एवं पदेन भू-अभिलेख निदेशक
पीठासीन अधिकारी : डॉ0 राजेश शर्मा, आई.ए.एस

राजस्व अपील संख्या 21/2022

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्टस
1. ईशराराम पुत्र भूराराम 2. देदाराम पुत्र सिमरथाराम 3. मालाराम पुत्र पूराराम 4. मंगाराम पुत्र पूराराम 5. प्रभूराम पुत्र निम्बाराम 6. सोनाराम पुत्र निम्बाराम 7. देवाराम पुत्र पूराराम 8. खेताराम पुत्र रावताराम 9. खेतूदेवी पत्नी पूराराम 10. बाबूराम पुत्र पुरखाराम 11. हरीराम पुत्र पुरखाराम 12. जूझाराम पुत्र रावताराम 13. पारूदेवी पत्नी पुरखाराम 14. रामाराम पुत्र सिमरथाराम निवासी–ईश्वरपुरा,तहसील गुडामालानी बाडमेर		1. राज्य जरिये तहसीलदार, गुडामालानी, जिला बाडमेर वगैराह कुल 60 पक्षकार रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधि. 1956 विरूद्व आदेश उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी, बाडमेर के द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 52/2021 राज्य बनाम तुलछाराम वगैराह में दिनांक 03.01.2022 को पारित किया गया।

उपस्थितीः—

1. श्री मोहनलाल खत्री, अधिवक्ता अपीलान्टगण की ओर से।

निर्णय

दिनांकः 7 फरवरी, 2022

1. अपीलान्ट ने यह अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी, बाडमेर के द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 52/2021 राज्य बनाम तुलछाराम वगैराह में दिनांक 03.01.2022 को पारित आदेश के विरूद्व यह प्रथम अपील न्यायालय के समक्ष दिनांक 01.2.2022 को प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अपीलान्ट के अधिवक्ता को अपील पर सुना गया।

2. दौरान सुनवाई अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए यह कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या एक के द्वारा अधिनस्थ न्यायालय

7/2/2022
डिविजनल कमिश्नर

के समक्ष अन्तर्गत धारा 131, 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जिसमें ग्राम ईश्वरपुरा एवं लीनडी तहसील गुडामालानी के जमाबन्दी सम्वत 2078 के अनुसार अपीलान्टस एवं अन्य रेस्पो0 की खातेदारी में दर्ज खसरान रकबा की भूमि में से मौके पर रास्ते के उपयोग में आ रही रकबा भूमि को गैर मुमकीनन रास्ता दर्ज करने के आदेश दिये जावे। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट के उक्त प्रस्ताव/प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए विभिन्न खसरान की रकबा भूमि में से हिस्सा भूमि को राजस्व रेकर्ड में रास्ता दर्ज करने का अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.01.2022 को पारित किया है वो अपीलार्थीगण को सुनवाई एवं अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किये ही पारित किया गया है। उक्त आदेश से अपीलान्टगण व्यथित होने से यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत कर रहे है।

3. अपीलान्ट के अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय को धारा 131 व 136 राज0 भू राजस्व अधि0 एवं राज्य सरकार के नोटिफिकेशन के अनुसार रास्ते के बाबत किसी भी प्रकार का आदेश पारित नहीं किया जा सकता है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश स्पष्ट नहीं है तथा उक्त प्रार्थना पत्र के निस्तारण में बिना किसी खातेदार को पक्षकार बनाये उक्त आदेश पारित किया गया है जो निरस्त योग्य है।

4. इसके अतिरिक्त अपीलान्ट के अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय में प्रकरण दर्ज होने पर किसी पक्षकार/खातेदार को नोटिस नहीं दिया गया और न ही कोई पक्षकार मौके पर उपस्थित था, जो स्वीकार किये जाने योग्य नहीं था।

5. अपीलान्ट के अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश के द्वारा खातेदारान/पक्षकारान के खेत खातेदारी भूमि के बीच में से रास्ते की भूमि दी गई है जबकि न्याय कस यह सुस्पष्ट सिद्धान्त है कि किसी भी पक्षकार के खते में से रास्ता निकालने से पूर्व उन खातेदारों को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाना आवश्यक था। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आलौचय आदेश पारित करते समय इस बात पर गौर नहीं किया। इसके अतिरिक्त पटवारी की रिपोर्ट के आधार मानते हुए तहसीलदार ने बिना कोई विधिक जॉच किये ही उक्त प्रकार का प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया जबकि राज्य

7/12/2022
डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर

सरकार के नोटिफिकेशन अनुसार मौके पर रास्ते का पूर्व में कटाण, पगडण्डी, रास्ता हो तो ही उन्हीं को राजस्व रेकर्ड में रास्ता तरमीम करना है परन्तु वर्तमान प्रकरण में मौके पर ना तो कभी रास्ता रहा और न ही पगडण्डी रही है, इस कारण से भी आदेश निरस्त करने योग्य है।

6. अपीलान्ट के अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि अपीलान्टस के प्रकरण में उनकी खातेदारी खेत के बीचों–बीच में से रास्ता निकाला गया है जबकि अन्य खसरों में माठ के किनारे–किनारे रास्ता कायम किये जाने का आदेश दिया गया है इसके अलावा ख0सं0 68, 73 77, 62, 63, 64/1 के खातेदारों के लिये कोई रास्ता नहीं दिया गया है। मौका रिपोर्ट पक्षकारों की अनुपस्थिति में बनाई गई जिसमें अपीलार्थीण/प्रार्थीगण की सहमति नहीं दी गई है तथा न ही रिपोर्ट पर किसी तरह की कोई आपत्तियॉ की सुनवाई की गई है। अतः उपरोक्त आधारों पर अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.01.2022 को निरस्त किया जावें।

7. हमने अपीलान्ट के अधिवक्ता द्वारा की गई बहस पर मनन किया एवं अपील में दर्शाये गये तथ्यों का अवलोकन किया। अपीलान्ट ने अपनी अपील में अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध प्रमुखतः यह आपत्ति उठाई है कि वे आदेश में वर्णित ग्राम ईश्वरपुरा के खसरा संख्या 60 में अपीलार्थीगण के खेतों के बीचों–बीच से रास्ता निकाला गया है जबकि अन्य खसरों में माठ के किनारे किनारे रास्ता कायम किये जाने का आदेश दिया गया हैं जिसमें अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा गैर मुमकीन रास्ता दर्ज किये जाने का आदेश दिये जाने से पूर्व वर्णित भूमि के दर्ज खातेदारों की सहमति नहीं ली गई और न ही उन्हें अपना पक्ष रखने एवं सुनवाई का अवसर दिया है और भूमि की मौका रिपोर्ट उनकी अनुपस्थिति में तैयार की गई है जिससे अपीलाधीन आदेश विधि अनुरूप नहीं है।

8. किसी खातेदार की खातेदारी भूमि में किसी सार्वजनिक प्रयोजनार्थ उपयोग आने पर यानि आवागमन के रास्ते के रूप में उपयोग आने पर उसे अधिकृत रूप से रास्ता घोषित किये जाने एवं राजस्व रेकर्ड नक्शा लटठा ट्रेस में उक्त प्रकार से दर्ज किये जाने का आदेश दिये जाने से पूर्व उनकी मौखिक एवं लिखित सहमति लिया जाना एवं उसका पक्ष जानने/सुनवाई का अवसर दिया जाना प्राकृतिक न्याय

7/2/2022
डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर

सिद्धान्तों के तहत एवं कानून आवश्यक होता है जो कि अपीलाधीन कार्यवाही में नहीं अपनाया गया है।

9. इस स्थिति में प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों के दृष्टिगत हमारी विनम्र राय में उक्त प्रकरण में अपीलार्थीगण की अंकित खसरान भूमि के सम्बन्ध में मौके की रिपोर्ट की उपस्थिति में तथा अपीलार्थी को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर दिये जाने के पश्चात यदि अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार से संशोधन की आवश्यकता प्रतीत होती हो तो पुनः नये सिरे से यथोचित आदेश पारित करने हेतु उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित रहेगा।

10. अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपील अपीलान्टगण आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी को प्रति प्रेषित किया जाता है कि वे उपरोक्त ऑब्जर्वेशनों को मध्यनजर रखते हुए प्रकरण में अपीलार्थीगण की रकबा भूमि के सम्बन्ध में अपीलार्थी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने एवं उन्हें सुनवाई का पर्याप्त अवसर देने के उपरान्त अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार से संशोधन की आवश्यकता प्रतीत होती हो तो पुनः नये सिरे से 01 माह की अवधि में यथोचित आदेश पारित करें। निर्णय आज दिनांक 7 फरवरी, 2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

7/2/2022

(डॉ0 राजेश शर्मा)
डिविजनल कमिश्नर,
जोधपुर